

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./1142/2018/ 99

दिनांक : 31.1.18

**आदेश**

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 11 (7) वित्त/नियम /2008/ दिनांक 12.09.08 एवं संशोधित आदेश क्रमांक: एफ.14 (88) वित्त (नियम)/2008-I दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.13 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री आनन्द कुमार दैया, लैब टेक्नीशियन अधीनस्थ प्रधानाचार्य, सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 31.12.1993 है, को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 31.12.2011 से 18 वर्षीय एसीपी स्वीकृत योग्य है परन्तु दिनांक 01.06.2002 के पश्चात 2 से अधिक संतान होने के कारण वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक: एफ.14 (88) वित्त (नियम)/2008-II दिनांक 06.05.2015 एवं 20.11.15 के परिपेक्ष्य में दिनांक 31.12.2016 से पे बैंड 9300-34800 व ग्रेड-पे 4200 एसीपी स्वीकृत की जाती है।

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन नियतन संबंधित अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

( राकेश शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./1142/2018/ 99

दिनांक : 31.1.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधानाचार्य, सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे (0141-2222683 एवं इमेल आई.डी- add4ng@gmail.com)
3. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर